

आजाद सिपाही



मुख्यमंत्री हजारीबाग में मईयां सम्मान योजना कार्यक्रम में हुए शामिल हेमंत ने 13 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डाले एक-एक हजार रुपये

- हजारीबाग, धनबाद, गिरिहाँस, बोकारो, घटाय, कोडरा और रामगढ़ की महिलाओं को निलाला लाभ, आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने का संकल्प है।

दीपक सिंह

हजारीबाग (आजाद सिपाही)।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई ऐसा घर नहीं होगा, जहां आज राज्य सरकार की कोई ना कोई योजना नहीं पहुंच ही है। घर-परिवारों में रास्तार की राज्यांगन की संकल्प है।



असाम और मध्यप्रदेश से नेताओं को बुलाकर जहर घोल रहे हैं: हेमंत सोरेन

हजारीबाग (आजाद सिपाही)।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखण्ड राज्य गरीब है। इस राज्य में सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए थी। राज्य अगले होने के बाद हमारे विधायियों ने जो सरकार चलायी, उसमें सामाजिक सुरक्षा में व्यापार करेंगे। योजनाएँ की सुरक्षा में लगे हों। आकाश याद होगा 2019 से पहले जब डबल ड्रॉप का लोकर भात-भाजी करके लोग भरता था। योजना एवं व्यापारियों की सुरक्षा में लगे हों। आकाश याद होगा नहीं भरता था।

महिलाओं को सम्मान राशि देने का बन रहा रिकॉर्ड: मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड मईया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं का जबरदस्त उत्साह देखते ही बन रहा है। महज दो सप्ताह में 42 लाख से ज्यादा महिलाओं में इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिये। इन आवेदनों पर स्वीकृति भी देने का एक रिकॉर्ड है। इस योजना से जुड़ने के लिए महिलाएँ तथा व्यापारियों को जिम्मेदार भात-भाजी करके लोग भरता था। योजना एवं व्यापारियों की सुरक्षा में लगे हों। आकाश याद होगा नहीं भरता था।

उपर उम्र की आधी आवादी को योजनाओं का लाभ: हेमंत ने कहा कि राज्य के विकास में आधी आवादी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी वजह से राज्य सरकार हर उम्र की महिलाओं तथा व्यापारियों को जिम्मेदार भात-भाजी करके लोग भरता था। योजना एवं व्यापारियों की सुरक्षा में लगे हों। आकाश याद होगा नहीं भरता था।

(शेष पेज 05 पर)


उपर उम्र की आधी आवादी को पेंशन दी जाएगी है। वहीं, बच्चियों को बेहतर शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा गया है। अब झारखण्ड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र तक की सभी महिलाओं को सम्मान राशि प्रदान कर रही है।

एक तरफ यन्हीं लेकर आयी ह

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी

23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा

कर्मचारियों को अब कोई कानूनी नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री की केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ हुई बैठक



बैठक में पीएम शामिल हुए

केंद्रीय एक मीटिंग के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। कार्यक्रम मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक निटिस जारी किया गया था। बैठक ऐसे समय पर हुई, जब 2 राज्यों जम्मू-कश्मीर और हायरियों में विधानसभा चुनाव होते हैं। पिछले 10 साल में यह पहली बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल कार्डेसिन यारी जॉइंट कंसलेटिव मीरीनरी के सदस्य थे। बैठक में ऑल-पेंशन स्कीम, व्यू पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हुई। उधर, रेलवे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाई फेंडरेशन के प्रधानमंत्री की बैठक को बिष्टकर किया गया है।

न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस

न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी वैसिक सैलरी का 10% हिस्सा कानूनिक रूप से दिया जाता है और समयावधि 14% दी जाती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई कानूनिक नहीं करना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की वैसिक सैलरी का 18.5% कानूनिक करेगा। इनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है वो वे फंड जायेगा। सरकार की तरफ से कानूनिक शून्य 14% से 18.5% बढ़ाये जाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आयेगा। ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा।

आजाद सिपाही संवाददाता

नवी दिल्ली। केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लेकर आयी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी तरवाव ने शनिवार, 24 अगस्त को इसपर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक इसे मंजूरी दी गयी। यूपीएस 01 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का अंशन रहेगा। राज्य सरकार कर्मचारी शामिल होते हैं, तो चाहे वे भी इसे अपना करीब 90 लाख कर्मचारियों को सकती हैं। अगर राज्य के

सकती हैं। अगर राज्य के इससे फायदा होगा।

ओडिशा सरकार की महिलाओं को सौगात

सुभद्रा योजना के तहत हर साल मिलेंगे 10 हजार रुपये

आजाद सिपाही संवाददाता



भूवनेश्वर। ओडिशा सरकार महिलाओं के लिए बहुतीक्ष्ण सुभद्रा योजना को लाने की तैयारी में है। इसके लेकर सरकार ने इससे जुड़े दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस योजना के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देशों के एसओपी को मन्त्रिमंडल में मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत हर साल 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को ओडिशा सरकार 10 हजार रुपये देती है।

21 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं पात्र होंगी: मुख्यमंत्री मोहन माझी ने यह घोषणा करते हुए विधानसभा को सूचित किया कि योजना के लिए एसओपी को मन्त्रिमंडल में मंजूरी दे दी गयी है।

21 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं पात्र होंगी: मुख्यमंत्री मोहन माझी ने यह घोषणा करते हुए विधानसभा को सूचित किया कि योजना के लिए एसओपी को मन्त्रिमंडल में मंजूरी दे दी गयी है।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए पात्र होंगी। उन्हें पांच साल के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

सुभद्रा क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा:

5,000 रुपये की पहली किस्त

राशी पूर्णिमा पर उनके खातों में जमा की जाएगी, जबकि 5,000 रुपये की दूसरी किस्त 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8

मार्च) पर जमा की जाएगी।

लाभार्थी को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी मिलेगा। हालांकि, वित्तीय रूप से मजबूत, सरकारी नौकरी धारक, आयकरकारी और किसी भी सरकारी योजना के तहत 1,500 रुपये वा उससे अधिक मासिक या 18,000 रुपये वा उससे अधिक की सहायता प्राप्त करने वाले लोग सुभद्रा सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

क्या है आवेदन प्रक्रिया :

भूवनेश्वर। एक विकास विभाग योजना के बहार प्रबंधन के लिए सुभद्रा सोसायटी का गठन करेगा। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ऐसे 100 लाभार्थियों की पहचान करेगी जिन्होंने ग्राम पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में अधिकतम डिजिटल लेनदेन किया है और उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के माध्यम से उनके खातों में राशनफर की जाएगी।

महिलाएं सुभद्रा सहायता के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलेंगे। हर साल दो चरणों में डिवीडेंट के म